मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

भोपाल, दिनांक 01 JUN 2019

:: आदेश ::

क्रमांक एफ 8–03/2017/2/34 :: शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.03.2019 से ''पूर्ण श्रेणी'' की (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से आच्छादित) बसाहटों में पेयजल समस्या एवं ग्रीष्मऋतु में निर्धारित मापदण्ड से पेयजल उपलब्ध न होने पर नवीन हैण्डपंप स्थापना के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान किया गया था। उक्त आदेश को संशोधित करते हुये प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में निर्धारित मापदण्ड (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) से हैण्डपंप के माध्यम से बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :–

1/ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की बसाहटों में हैण्डपंप के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से पेयजल व्यवस्था हेतु नवीन हैण्डपंप स्थापना के जिलेवार वार्षिक लक्ष्य प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित कर जारी किये जायेंगे। प्रमुख अभियंता द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण जिले के विकासखण्डों की संख्या एवं वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि के आधार पर किया जायेगा।

हैण्डपंप के माध्यम से पेयजल व्यवस्था हेतु बसाहटों के चयन का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :–

(i) 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से कम पेयजल उपलब्धता वाली बसाहट।

(ii) 300 मीटर की परिधि में सार्वजनिक पेयजल स्त्रोत की सुविधा से वंचित बसाहट।

(iii) ग्रीष्मकालीन पेयजल समस्या वाली बसाहट, जहाँ ग्रीष्मकाल में पेयजल की उपलब्धता 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से कम हो।

बसाहटों के चयन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य बसाहटों को प्राथमिकता दी जाएगी। म.प्र. जल निगम तथा विभाग द्वारा क्रियान्वित समूह एवं एकल नलजल योजनाओं वाली बसाहटों में विशिष्ट कारणों (जो कि लेखबद्ध किये जायेंगे) से ही नए नलकूप खनन कर हैण्डपंप स्थापना कार्य किया जा सकेगा।

2/ नलकूप खनन का स्थल चयन हाईड्रोजियोमार्फोजिकल मैप एवं अन्य उन्नत वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कर किया जाए जिससे पर्याप्त जल आवक क्षमता के स्त्रोत उपलब्ध हो सके।

3/ जिले के लिए निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक, उपरोक्त प्राथमिकता के क्रम में बसाहटों का चयन कर नवीन हैण्डपंप स्थापना के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी।

4/ जिलों को वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि की सीमा में ही प्रशासकीय स्वीकृतियाँ जारी की जायेंगी जिससे देनदारियाँ निर्मित न हों।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

01.06.2019
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ 8–03/2017/2/34 भोपाल, दिनांक 01 JUN 2019

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,म.प्र. भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, म.प्र.जल निगम मर्यादित, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/ ग्वालियर / जबलपुर,/वि./यॉं. परिक्षेत्र भोपाल।
5. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग....................मण्डल (समस्त)।
6. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड.....................(समस्त)।

01.06.2019

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग